न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू.	तारीख फैसला
79/2022	19.7.2022	8.7.2025

सुरेश चन्द पुत्र लल्लू, जाति महाजन, निवासी रानीला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास, प्रतिवादी
2. उगन्ती पुत्री लल्लू,
3. कंचन पत्नी लल्लू,
4. गीता पुत्री लल्लू,
5. विनोद पुत्र लल्लू,
6. संतरा पुत्री लल्लू,
7. सीता पुत्री लल्लू,

जाति महाजन, निवासी रानीला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

8. कवली पुत्री मंगड्या,
9. घासी पुत्र मंगड्या,
10. मदन पुत्र मंगड्या,
11. रमेश पुत्र मंगड्या,

सभी जाति महावर, निवासी रानीला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

12. बलदेव दास चेला राघवदास, जाति ब्राह्मण, निवासी रानीला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर
13. बसन्ती पत्नी स्व. रामप्रसाद, जाति महाजन, निवासी रानीला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर
14. रामकमल पुत्र रामप्रताप, जाति ब्राह्मण, निवासी रानीला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर
15. रामविलास पुत्र कन्हैया, सभी जाति महाजन, निवासी

जिला कलक्टर
मनवास (स.मा.)

16. सीताराम पुत्र कन्हैया, 17. महावीर प्रसाद पुत्र हीरा लाल,	रानीला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर प्रोफार्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी

व इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थिति,

1. श्री हरिशंकर शर्मा, अधिवक्ता, वादी की ओर से,
2. प्रतिवादीगण की ओरः से स्वयं उपस्थित ।

निर्णय दिनांकः 8.7.2025

इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादी द्वारा कथन किया गया है कि वादी व अन्य सहखातेदारान की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात् खाता संख्या 12 में वर्णित खसरा नम्बर 1013 रकवा 1.25 हेक्टेयर, खाता संख्या 139 में वर्णित खसरा नम्बर 88 रकवा 0.98 हेक्टेयर, खाता संख्या 212 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 262 रकवा 0.88 हेक्टेयर, खाता संख्या 326 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1144, 1145, 1146, 1188 (कुल किता 4, कुल रकवा 1.66 हेक्टेयर), खाता संख्या 327 आराजी खसरा नम्बर 1174, 1175 (कुल किता 2, कुल रकवा 0.84 हेक्टेयर) व खाता संख्या 328 में अंकित आराजी खसरा नम्बर 87 रकवा 3.77 हेक्टेयर स्थित ग्राम रानीला, तहसील बामनवास हैं, जिनमें वादी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अपने हिस्से

ता कलक्टर
ास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

को काश्त करता चला आ रहा है । राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदार सुल्तान पुत्र लल्लू, जाति महाजन व सुरेश चन्द पुत्र लल्लू, जाति महाजन एक ही व्यक्ति हैं । वादी को राजस्व रिकॉर्ड में हो रही गलती की कोई जानकारी नहीं थी । दिनांक 5.2.20222 को के.सी.सी. बनवाने हेतु हल्का पटवारी से कहा तो हल्का पटवारी द्वारा बताने पर उक्त जानकारी हुई, जिस पर वादी ने रिकॉर्ड प्राप्त कर दिनांक 14.2.2022 को तहसीलदार बामनवास से इस बाबत शुद्धि करने हेतु कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । वादी के असल दस्तावेज मूल निवास, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मतदाता सूची, ग्राम पंचायत रानोला द्वारा जारी प्रमाण पत्र में सुरेश चंद पुत्र लल्लू दर्ज है । इसलिए वादी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में आवश्यक संशोधन कराने का अधिकारी है । वादी का बोलता नाम सुल्तान पुत्र लल्लू होने के कारण उसी नाम से नामान्तकरण खुल गया, जबकि वादी का सही नाम सुरेश चन्द पुत्र लल्लू है । वादी को दोनों ही नामों से जाना जाता है । राजस्व रिकॉर्ड में हो रही गलतियों के कारण वादी सरकारी योजनाओं का कोई लाभ भी नहीं ले पा रहा है ...... आदि कथन करते हुए वादी ने अपना वाद पत्र अनुतोष के अनुसार डिक्री किए जाने का अनुरोध किया है ।

प्रतिवादीगण को उक्त आशय के दावे के सम्मन प्रेषित किए गए । प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित होकर अपना जवाब

दावा पेश किया गया, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 की ओर से वाद पत्र के समर्थन में अपनी लिखित सहमति प्रस्तुत की गई ।

वादी को अपनी ओर से साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया, जिसमें वादी ने अपने आपको बतौर पी.ड. 1 परीक्षित करवाकर व 12 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाकर अपनी साक्ष्य समाप्त की ।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पत्रावली व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब से यह तथ्य निर्विवाद है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जिल्दों अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 की खातेदारी में दर्ज है । वादी अपने वाद पत्र के अनुतोष मय के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उसका नाम सुल्तान पुत्र लल्लू के स्थान पर सुरेश चन्द पुत्र लल्लू संशोधित करवाना चाहता है । वादी द्वारा प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी का उसकी पहचान सम्बन्धी सभी प्रकार के दस्तावेजों में उसका नाम सुरेश चन्द पुत्र लल्लू ही अंकित है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार, बामनवास द्वारा भी अपने जवाब के मद संख्या 2 में यह तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि सुल्तान पुत्र लल्लू व सुरेश चन्द पुत्र लल्लू दोनों अलग अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति हैं । आगे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह कथन भी किया गया है कि उपरोक्त भूमि वादी को विरासत से प्राप्त हुई है । ऐसे में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 12 व

तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन के उपरान्त वादी द्वारा अपने वाद पत्र में किए गए कथनों पर किसी भी प्रकार से अविश्वास किए जाने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता है ।

फलस्वरूप संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है ।

आदेश

वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर खाता संख्या 12 में वर्णित खसरा नम्बर 1013 रकवा 1.25 हेक्टेयर, खाता संख्या 139 में वर्णित खसरा नम्बर 88 रकवा 0.98 हेक्टेयर, खाता संख्या 212 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 262 रकवा 0.88 हेक्टेयर, खाता संख्या 326 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1144, 1145, 1146, 1188 (कुल किता 4, कुल रकवा 1.66 हेक्टेयर), खाता संख्या 327 आराजी खसरा नम्बर 1174, 1175 (कुल किता 2, कुल रकवा 0.84 हेक्टेयर) व खाता संख्या 328 में अंकित आराजी खसरा नम्बर 87 रकवा 3.77 हेक्टेयर स्थित ग्राम रानीला, तहसील बामनवास के संदर्भ में यह उद्घोषित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदार सुरज्ञान पुत्र लल्लू, जाति महाजन व सुरेश चन्द पुत्र लल्लू, जाति महाजन एक ही व्यक्ति हैं तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड

ला कलक्टर
बास (स०मु०)

में उपरोक्त वर्णित आराजियात् में वादी का नाम सुरज्ञान पुत्र लल्लू, जाति महाजन के स्थन पर सुरेश चन्द पुत्र लल्लू, जाति महाजन दर्ज किया जावे, इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जाता है, डिक्री तदनुसार तैयार की जावे ।

(सुनील कुमार मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 8.7.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनील कुमार मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner